


**न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जबलपुर, जिला - जबलपुर**  
**--: आदेश :-**

कं./ ०० /सी.जे.एम./2024

जबलपुर, दिनांक-30.12.2024

माह जनवरी 2025 में वीडियो कॉन्फेसिंग के माध्यम से रिमांड कार्य निष्पादित किये जाने हेतु निम्नानुसार न्यायिक मजिस्ट्रेट की डियूटी लगाई जाती है। संबंधित न्यायिक मजिस्ट्रेट वीडियो कॉन्फेसिंग का कार्य 10.30 बजे से 11.00 के मध्य वीडियो कॉन्फेसिंग रूम में उपस्थित होकर संपादित करे।

क	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक	क.	न्यायिक मजिस्ट्रेट का नाम	दिनांक
1	श्री रविन्द्र धुर्वे	06.01.2025	12	श्री मृणाल मोहित	21.01.2025
2	श्रीमती ज्योत्सना आर्या	07.01.2025	13	सुश्री राखी साहू	22.01.2025
3	श्रीमती नमिता बौरासी	08.01.2025	14	सुश्री संध्या गर्ग	23.01.2025
4	श्रीमती विश्वेश्वरी मिश्रा	09.01.2025	15	डॉ. श्री गौरव गर्ग	24.01.2025
5	श्रीमती रुचि गोलस सगर	10.01.2025	16	श्री देवरथ सिंह	25.01.2025
6	श्रीमती शुभांगी पालो दत्त	11.01.2025	17	श्रीमती मृणालिनी सिंह	27.01.2025
7	श्री डी.पी. सूत्रकार	13.01.2025	18	श्री राकेश भिडे	28.01.2025
8	श्रीमती रश्मि मण्डलोई ठाकुर	15.01.2025	19	श्री अरूण कुमार गोयल	29.01.2025
9	श्रीमती शीला मैना यादव	16.01.2025	20	श्री मनमोहन कौरव	30.01.2025
10	श्रीमती अंकिता शाही	17.01.2025	21	श्रीमती ज्योति चतुर्वेदी भारद्वाज	31.01.2025
11	श्रीमती अंशु चौहान गुप्ता	20.01.2025			


  
(आलोक प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर

**प्रतिलिपि :-**

- 1- निज सचिव, (प्रधान जिला एवं सेशन न्यायाधीश) की ओर माननीय महोदय को अवगत कराये जाने हेतु प्रेषित।
- 2- न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी जबलपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि उनके डियूटी दिनांको पर जेल से प्राप्त अभियुक्तों की पेशी से संबंधित सूची पर अभियुक्त की उपस्थिति/अनुपस्थिति दर्ज कर समस्त संबंधित न्यायालयों को सूचित कर मूल प्रति इस न्यायालय को प्रमाणित कर भेजे।

.....2

- 3- उक्त सूची में दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट का स्थानांतरण या पदोन्नित हो जाने के फलस्वरूप उनके स्थान पर पदभार ग्रहण करने वाले न्यायिक मजिस्ट्रेट उस दिनांक को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का कार्य निष्पादित करेंगे एवं यदि किसी कारणवश दर्शित न्यायिक मजिस्ट्रेट की न्यायालय रिक्त हो जाती है या स्थानांतरित न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा पदभार ग्रहण नहीं किया जाता है अन्यथा उपरोक्त सूची में दर्शित यदि कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट नियत दिनांक को अवकाश पर रहते है तो उक्त दिनांक को **श्रीमती मीनाक्षी दांदेलिया खण्डेलवाल** जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेगी एवं यदि किन्ही कारणवश श्रीमती मीनाक्षी दांदेलिया खण्डेलवाल जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **सुश्री किरण वर्मा** जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेगी यदि किन्ही कारणवश सुश्री किरण वर्मा जे.एम.एफ.सी. भी अवकाश पर रहती है तो **सुश्री श्रेया शर्मा** जे.एम.एफ.सी. कार्य निष्पादित करेगी।
- 4- जेल अधीक्षक, केन्द्रीय जेल जबलपुर की ओर इस निर्देश के साथ सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित कि उक्त दिनाकों में लगायी गयी न्यायालयों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पेशी की सूची एक दिवस पूर्व संबंधित न्यायालय को प्रेषित करें।
- 5- जूनियर सिस्टम ऍनालिस कम्प्यूटर अनुभाग, जिला न्यायालय जबलपुर की पालनार्थ प्रेषित।

  
(आलोक प्रताप सिंह)  
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट  
जबलपुर